

बैंकों पर व्याप्त दबावयुक्त संपत्तियों का खतरा

संदर्भ

पछिले कुछ समय से, भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी वशिष्ट संस्थागत व संरचनात्मक समस्याओं से गुजर रही है। वशिष्ट अनर्जक अस्तित्वों (NPA) में बढ़ोतरी एवं उनके निपटान की समस्या प्रमुख है। साथ ही बैंकों के संदर्भ में एक सटीक व सक्षम ऋण प्रबंधन तंत्र की कमी के कारण दबावयुक्त संपत्तियाँ (Stressed Assets) में लगातार वृद्धि होने की समस्या प्रमुख है। उक्त समस्या की स्पष्ट झलक अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ तथा उसकी भारतीय सहयोगी संस्थान आई.सी.आर.ए. (ICRA) के द्वारा जारी की गई हाल की रिपोर्टों में दखिली है। जहाँ मूडीज़ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 2019 तक भारतीय बैंकों में दबावयुक्त संपत्तियों की मात्रा में वृद्धि होगी और पूंजीकरण के मामले में वशिष्ट सरकारी बैंकों (PSU's) की दशा और बगिड़ सकती, है जिनमें अपनी ज़रूरतों के लिये अगले दो वर्षों में अतिरिक्त 90 हजार करोड़ की आवश्यकता होगी।

मुख्य बदि

- मूडीज़ की रिपोर्ट में कहा गया है कि "भारतीय बैंकों की पूंजीकरण प्रोफाइल खराब हो चुकी है तथा इनकी परसंपत्ति गुणवत्ता (Asset Quality) की दशा भी कमज़ोर है। साथ ही रिपोर्ट यह भी कहती है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSU) के पास बाह्य पूंजी जुटाने की सीमिति क्षमता है और इसलिये सरकार द्वारा सहयोग दिये जाने वाले वित्त सहयोग पूंजी आधार नरिमिति करने के लिये एकमात्र व्यवहार्य स्रोत बना हुआ है।
- मूडीज़ के भारतीय सहयोगी संगठन आई.सी.आर.ए. ने कहा है कि अगले कुछ वर्ष बैंकिंग क्षेत्र के लिये परसंपत्ति गुणवत्ता के दृष्टिकोण से ठीक नहीं होंगे। संगठन का मानना है कि बैंकों की कुल अनर्जक अस्तित्वों (NPA's) 2017-18 के अंत तक बढ़कर 8.2 से 8.5 लाख करोड़ हो जाएगी। यह मात्रा मार्च 2017 की कुल NPA's की तुलना में 9.5% अधिक होगी।
- साथ ही रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि मूडीज़ के द्वारा रेटेड 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को करीब 70,000 से 95,000 करोड़ रुपए या 10.6-14.6 अरब डॉलर की बाहरी इक्विटी पूंजी की आवश्यकता होगी। स्पष्ट तौर पर ये तय है कि इनकी दबावयुक्त ऋण की मात्रा में वृद्धि होगी।
- गौरतलब है कि बैंकों की ये आवश्यकता सरकार के द्वारा बैंकों के लिये मार्च 2019 तक तय की गई बजटीय सहायता राशि से कहीं अधिक है।
- सरकार, पी.एस.यू. बैंकों में बैंक पुनरपूंजीकरण के लिये शुरु हुई इंद्रधनुष योजना के तहत 70,000 करोड़ का निवेश करेगी। इसमें से सरकार पछिले दो वित्तीय वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए दे चुकी है और शेष 2018-19 के अंत तक दे दिये जाएंगे।

अन्य महत्त्वपूर्ण पक्ष

- मूडीज़ को अगले दो वर्षों में बैंकों की मुनाफे प्रोफाइल में कोई वशिष्ट सुधार होने की उम्मीद नहीं है क्योंकि अभी भी पूंजी जुटाने के लिये बजटीय सहायता ही बैंकों के लिये प्रमुख साधन के रूप में है।
- हालाँकि आई.सी.आर.ए. ने कहा है कि वर्तमान में NPA's नरिमाण की दर धीमी है एवं आगे भी धीमी रहने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2017 में NPA's नरिमाण की दर 5.5% की है जो 2016 में 6.6% थी।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन के लिये जारी किये गए अध्यादेश, बैंकों के लिये एक सकारात्मक कदम होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली के दबावयुक्त परसंपत्तियों को हल करने के लिये सरकार की इच्छा स्पष्ट हो रही है।

अध्यादेश पर एक नज़र

- इस अध्यादेश के माध्यम से पुराने बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 में कुछ बदलाव किये जाएंगे।
- राष्ट्रपति का यह अध्यादेश बैंकों के एन.पी.ए. के शीघ्र समाधान हेतु भारतीय रज़िर्व बैंक को शक्ति देता है।
- उक्त अध्यादेश केंद्र सरकार को एन.पी.ए. समाधान प्रक्रिया शुरु करने हेतु आरबीआई को नरिदेश देने की शक्ति देता है।
- जबकि इस बैंकिंग विनियमन अध्यादेश के पहले के प्रावधान सरकार को आरबीआई को (डिफॉल्ट के मामलों में) एन.पी.ए. समाधान प्रक्रिया शुरु करने के लिये नरिदेश देने की अनुमति नहीं देते हैं।
- इस प्रकार यह अध्यादेश जहाँ एक ओर बैंकों की अधिकारिता में घुसपैठ करेगा वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक नेतृत्व को एन.पी.ए. समाधान प्रक्रिया में एक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर भी प्रदान करेगा।
- संशोधित कानून के तहत एन.पी.ए. संकल्प केंद्रीय सरकार के वशिष्ट नरिदेशों की जगह ले सकता है।
- यह अध्यादेश दवालियापन कोड (BANKRUPTCY CODE) को बैंकिंग विनियमन अधिनियम से संबद्ध कर देगा।
- अध्यादेश भी आरबीआई को एन.पी.ए. के साथ बैंकों के लिये नरिक्षण समितियाँ स्थापित करने की अनुमति देता है।
- यह नरिचित रूप से केंद्रीय बैंक को समस्यापरक ऋणों की दशा में बैंकों को गहन पर्यवेक्षण करने के लिये सक्षम करेगा।

- अध्यादेश बैंकों को खराब खातों को हल करने के लिये कानूनों में लचीलापन ला सकता है और भविष्य में कानूनी कार्रवाई करने की दशा में बैंकों को प्रतिक्रिया भी प्रदान कर सकता है।

नषिकर्ष

आर्थिक सर्वेक्षण 2015-2016 में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि अनर्जक अस्तित्वों व अन्य दबावयुक्त परसिंपत्तियों की समस्या का समाधान करने के लिये सुधार, स्वीकृति, पुनर्पूँजीकरण और समाधान जैसे चार तत्त्व आवश्यक होंगे। अतः सरकार को बैंकिंग अधिनियम में संशोधन के साथ-साथ वभिन्न नीतितमामलों का समाधान ढूँढना होगा, जसिसे सरकारी बैंकों की दशा में सुधार कया जा सके।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/threat-of-stressed-assets-on-banks>

